भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1995
दिनांक 06 दिसम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की नियमित नियुक्ति हेतु नीति

1995. **श्री देवेश चन्द्र ठाकुरः**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार को आंगनवाड़ी152 कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायकों में सरकारी कर्मचारियों के समान उनकी नियुक्ति, उनकी सेवा संबंधी नियमित नीति और लाभों के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या उनकी मांगें अभी भी सरकार के पास लंबित हैं;
(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ड.): मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 एक केंद्र प्रायोजित योजना है, इसका कार्यान्वयन राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के दायरे में आता है। इस योजना का उद्देश्य उचित पोषण सामग्री प्रदान करके बाल और मातृ कुपोषण की चुनौती का समाधान करना है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती और प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने वाली पद्धतियों को विकसित करने के लिए परिस्थितियां तथा अभिसरण तंत्र का निर्माण करना है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और आंगनवाड़ी सहायिका स्थानीय समुदाय के "मानद कार्यकर्ता" हैं जो बाल देखभाल और विकास के क्षेत्र में अंशकालिक आधार पर अपनी सेवाएं देने के लिए आगे आते हैं।

मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्ल्यूडब्ल्यू) और आंगनवाड़ी सहायिकाओं (एडब्ल्यूएच) की सेवा की शर्तों सहित योजना के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन के संबंध में प्रशासन, प्रबंधन और निगरानी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के दायरे में आती है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से निरंतर संवाद, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और परामर्श के माध्यम से बार-बार अनुरोध किया गया है कि वे आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों / सहायिकाओं को योजना से असंबंधित कार्यों में शामिल न करें, ताकि योजना के अधिक प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उनके समय का बेहतर उपयोग किया जा सके।

भारत सरकार ने 1 अक्टूबर, 2018 से आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि की है। वर्तमान में, मुख्य आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री का मानदेय 4,500/- रुपये प्रति माह है; मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री का मानदेय 3,500/- रुपये प्रति माह है और सहायिकाओं का मानदेय 2,250/- रुपये प्रति माह है। इसके अलावा, आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 250/- रुपये प्रति माह और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को 500/- रुपये का प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन दिया जाता है। इसके अलावा, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने स्वयं के संसाधनों से इन कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त मौद्रिक प्रोत्साहन/मानदेय भी दे रहे हैं जो राज्य दर राज्य अलग-अलग है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित सहित विभिन्न उपाय/पहल शुरू की गई हैं::

i. पदोन्नति: मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए पदोन्नति के अवसर बढ़ाए गए हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के 50% पद 5 वर्ष के अनुभव वाले आंगनवाड़ी सहायिकाओं द्वारा भरे जाने हैं तथा पर्यवेक्षकों के 50% पद 5 वर्ष के अनुभव वाले आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की पदोन्नति द्वारा भरे जाने हैं, बशर्ते कि वे अन्य मानदंडों को पूरा करते हों।
ii. अवकाश : आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को मातृत्व अवकाश के रूप में 180 दिनों की सवेतन अनुपस्थिति, गर्भपात/ अकाल प्रसव पर एक बार 45 दिनों की सवेतन अनुपस्थिति की अनुमति दी गई है। इसके अलावा 20 दिनों के वार्षिक अवकाश की अनुमति है।

iii. सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाएं: प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के अंतर्गत 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों /सहायिकाओं को 2.00 लाख रुपये का जीवन बीमा (जीवन जोखिम, किसी भी कारण से मृत्यु को कवर करता है) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 18-59 वर्ष की आयु वर्ग में 2.00 लाख रुपये(दुर्घटनावश मृत्यु और स्थायी पूर्ण विकलांगता)/1.00 लाख रुपये (आंशिक लेकिन स्थायी विकलांगता) का दुर्घटना कवर प्रदान किया गया है।

iv. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत बीमा कवर: कोविड-19 से संबंधित कार्यों में लगी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को कुछ शर्तों के साथ "प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज" के तहत 50 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान किया गया है

v. प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम): राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे पात्र आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/सहायिकाओं को प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) पेंशन योजना के अंतर्गत नामांकित होने के लिए प्रोत्साहित करें, जो वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश में असंगठित क्षेत्रों के लिए स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है।

vi. सेवानिवृत्ति तिथि: राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे उचित मानव संसाधन नियोजन सुनिश्चित करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं के संबंध में एक समान सेवानिवृत्ति तिथि अर्थात प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को अपनाएं।

vii. अंतरिम बजट वित्त वर्ष 2024-25 में सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत 5 लाख रुपये की वार्षिक स्वास्थ्य देखभाल कवरेज देने की घोषणा की गई है।

इसके अलावा, मंत्रालय ने सभी मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को नियमित आंगनवाड़ी केंद्रों में उन्नयन करने के आदेश जारी किए हैं। इससे देशभर में इन मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री का बोझ साझा करने के लिए एक आंगनवाड़ी सहायिका शामिल हो जाएगी।

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत पोषण ट्रैकर के माध्यम से कार्यभार कम करने के लिए आईटी सिस्टम का लाभ उठाया गया है जिसके तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा तैयार और उपयोग किए जाने वाले ग्यारह में से नौ वास्तविक रजिस्टरों को डिजिटल और स्वचालित किया गया है।

*****